(23)

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, न्याय, परिवहन विभाग
एवं पदेन **मुख्य** सतर्कता आयुक्त

क्रमांकः एफ.60(1)सी.वी.सी. / 2003 जयपुर, दिनांक 27 FEB 2004

1. **समस्त प्रमुख शासन** सचिव
2. **समस्त शासन** सचिव
3. **समस्त विभागाध्यक्ष**
4. समस्त **जिला** कलेक्टर
5. **समस्त मुख्य** सतर्कता अधिकारी

परिपत्र

विषयः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों द्वारा लोक सेवकों के विरूद्ध ट्रेप प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति के संबंध में ।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों द्वारा लोक सेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त होने पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के जो प्रकरण दर्ज किये जाते है, उन मामलों में पी.सी.एक्ट, 1988 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर अनुसंधान के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अभियोजन स्वीकृति के लिए रिपोर्ट उस सक्षम अधिकारी को, जो उस कर्मचारी को राज्य सेवा से पृथक करने कि शक्तियां रखता है, के समक्ष प्रस्तुत की जाती है ।

सक्षम अधिकारी के द्वारा ट्रेप संबंधी मामलों में कई बार अभियोजन स्वीकृति समय पर नहीं दी जाती एवं कुछ मामलों में अभियोजन स्वीकृति नहीं दिये जाने की अभिशंषा करते हुए प्रकरण संबंधित शासन सचिव के माध्यम से मुख्य सतर्कता आयुक्त को पृष्टि हेतु प्रेषित किये जाते हैं । ट्रेप संबंधी प्रकरणों के परीक्षण से यह तथ्य सामने आये है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों द्वारा अभियोजन स्वीकृति का अनुरोध लोक सेवकों के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध घटित होने की साक्ष्य के आधार पर किया जाता हैं तथा इसके पश्चात अन्तिम निर्णय साक्ष्य एवं तथ्यों के आधार पर सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाता है ।

अतः इस संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति अधिकारी / सक्षम अधिकारी जो कि अभियोजन स्वीकृति दिये जाने में सक्षम है, द्वारा ट्रेप संबंधी मामलों में यदि साक्ष्य के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया अभियोजन स्वीकृति योग्य पाया जाता है तो उन्हें तुरन्त अभियोजन स्वीकृति जारी कर देनी चाहिए जिससे कि अभियोग में न्यायालय द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जा सके । अनावश्यक विलम्ब को रोकने के लिए यह उचित होगा कि ट्रेप संबंधी मामलों में अभियोजन स्वीकृति शीघ्र जारी की जावें ।

27/2/2004
(सुरेन्द्र कुमार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, न्याय, परिवहन विभाग
एवं पदेन मुख्य सतर्कता आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः –

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, न्याय एवं परिवहन विभाग ।
3. सचिव, मुख्य मंत्री महोदया
4. महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान, जयपुर ।
5. रक्षित पत्रावली ।

27/2/2004
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, न्याय, परिवहन विभाग
एवं पदेन मुख्य सतर्कता आयुक्त